देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

अंक –jpr/2018/07/03/01 E-Newsletter, Issued in Public Interest मंगलवार, 3 जुलाई 2018

यह कैसा गड़बड़झाला? न्यायालय के एक ही आदेश पर जे.डी.ए. ने केम्प लगाने के आदेश दिए फिर उसी आदेश पर केम्प रोका|

जवाब मांगते सवाल?

परन्तु सवाल यह उठता है कि राजस्व मंडल राजस्थान का आदेश दिनांक 25/02/2016 किसके पक्ष में था? जे.डी.ए. का विधिक विभाग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? कही यह जे.डी.ए. और सोसाईटी वालों की मिली-भगत तो नहीं है? आखिर इस गलती का जिम्मेदार कौन है,जो कि जांच का विषय है|

क्या है काश्तकारों और सोसाईटी के मध्य विवाद

राजस्व ग्राम गिरधारी पुरा के खसरा न. 108 और 117 के स्वामित्व को लेकर 1993 से विवाद कायम है,जिस पर आज भी राजस्व मंडल राजस्थान से स्थगन आदेश प्राप्त है| आज इस जमीन की कीमत करोड़ों में है,जिसको लेकर दोनों पक्ष अपने अपने दावे करते आये

शेष अगले पृष्ठ पर

जे.डी.ए. की कार्यशैली पर एक बार फिर प्रश्नचिन्ह खड़ा हुआ है,जे.डी.ए. का पी.आर.एन. जोन शुरू से ही विवादों में रहा है चाहे वो राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश हो या नियमन शिविर आयोजन को लेकर| इस बार यह विवाद हीरापुरा पॉवरहाउस के पीछे स्थित जगदम्बा नगर ए और बी की जमीन के स्वामित्व को लेकर कास्तकारों और सोसाईटी के बीच हुए कानूनी विवाद को लेकर हुआ है| अपोलो हाउसिंग कोओपरेटिव सोसाईटी लि. द्वारा ग्राम गिरधारीपुरा स्थित योजना जगदम्बा नगर ए और बी जो कि राजस्व ग्राम गिरधारी पुरा के खसरा न. 108 और 117 एवं अन्य खसरों में स्थित है,की जमीन के स्वामित्व को लेकर 1993 से निरंतर आज दिनांक तक मामला राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है एवं स्थगन आदेश पारित है|सर्वप्रथम इस योजना का नियमन शिविर केम्प 2014 में आयोजित किया गया था,परन्तु 2013 में काश्तकारों द्वारा आपत्ति दर्ज कराने एवं राजस्व मंडल में विचाराधीन निगरानी याचिका 7157/08 के स्थगन आदेश को पेश करने के कारण खसरा न.108 और 117 की जमीन पर स्थित भूखंडों का न तो नियमन किया और न ही अनुमोदन किया गया| जिसके फलस्वरूप इन दोनों खसरों को छोड़ कर बाकी खसरों पर स्थित भूखंडों के पट्टे वितरित कर दिए गये|

जनवरी 2017 में स्थानीय वेलफेयर सोसाईटी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर जगदम्बा नगर ए और बी के जे.डी.ए. शिविर में स्थागित किये गए पट्टे जारी करने का निवेदन किया गया जिसमें यह बताया गया कि राजस्व मंडल ने अपने आदेश दिनांक 25/02/2016 में निगरानी याचिका 7157/08 का निस्तारण कर दिया हैअतः अब इन कॉलोनियों के शेष पट्टे जारी करने पर कोई रोक नहीं है|

जिसपर जे.डी.ए. द्वारा विधिक राय लेकर जनवरी 2017 में शेष पट्टों के नियमन को लेकर विज्ञप्ति जारी की|इस विज्ञप्ति को लेकर स्थानीय काश्तकारों द्वारा पुनः आपत्ति दर्ज करवाई गयी कि जिस आदेश के आधार पर जे.डी.ए. द्वारा शेष पट्टों के लिए नियमन शिविर आयोजित किये जा रहे है वो तो काश्तकारों के पक्ष में है|जे..डी.ए. इस फैसले का अपने हिसाब से निष्कर्ष निकाल कर सोसाईटी वालों को फायदा देने की गली निकाल रही है|

कास्तकारों के इस पत्र के बाद से जे.डी.ए. द्वारा पुनः शेष पट्टों के लिए आयोजित नियमन शिविर को स्थागित कर रखा है|

है| वास्तव में सोसाईटी द्वारा इस जमीन पर विभिन्न पट्टे काट कर बेचा जा चुका है| जिससे वास्तविक लड़ाई पट्टा धारकों और कास्तकारों के मध्य ही रही है|

जे.डी.ए. आनन-फानन से केम्प लगा कर रूपये बटोरना चाहता है उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि न्यायालयों के फैसले किसके पक्ष में है| जे.डी.ए की इस गलती से स्थानीय निवासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है|सोसाईटी वाले आज भी गैर-कानूनी रूप से पैसे लेकर सोसाईटी पट्टों में हेर-फेर करने से बाज नहीं आ रहे है|

बाबूलाल यादव(कास्तकार)